32 सूरए अस सजदह

न्याय दर्शन के आधार पर कुरआन की आयतों का तार्किक विश्लेषण एवं आलोचना

आयत 2:

"इसमें कुछ शक नहीं कि किताब कुरान का नाज़िल करना सारे जहाँ के परवरदिगार की तरफ से है।"

चुना गया न्याय तत्व: शब्द प्रमाण (Shabda Pramana - Verbal Testimony)

विश्लेषण और आलोचना:

1. **प्रतिज्ञा (Proposition):**
   यह आयत दावा करती है कि कुरआन को अल्लाह ने नाज़िल किया है।

2. **हेतु (Reason):**
   न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण तब मान्य होता है जब वक्ता (प्रवक्ता) विश्वसनीय हो और उसका कथन किसी तर्क, अनुभव या प्रमाण पर आधारित हो।
   - यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कुरआन के ईश्वरीय होने का प्रमाण क्या है।
   - किसी पुस्तक का यह कहना कि वह ईश्वर की ओर से है, स्वतः प्रमाण नहीं बन सकता।
   - मनुस्मृति (2.6) में कहा गया है:

     "श्रुति (वेद) और स्मृति ही धर्म के मूल स्रोत हैं।"

       - वेदों का प्रमाण उनके कालगत परंपरा और तार्किक उपदेशों पर आधारित है, केवल दावा नहीं है।

3. **उदाहरण (Example):**
   - **वेदों की प्राचीनता और वैज्ञानिकता पर शोध हुए हैं, जबकि कुरआन के ईश्वरीय होने का कोई बाहरी प्रमाण नहीं है।**
   - **भगवद गीता स्वयं को एक संवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, न कि ईश्वरीय ग्रंथ के रूप में थोपती है।**
4. **उपनय (Application):**
   - **यदि कोई ग्रंथ अपने ईश्वरीय होने का दावा स्वयं करे और इसे प्रमाण माने, तो हर धर्मग्रंथ को सत्य मानना पड़ेगा।**
   - **न्याय दर्शन में प्रमाण और तर्क के बिना किसी भी कथन को स्वीकार नहीं किया जाता।**
5. **निगमन (Conclusion):**
   - **यह आयत न्याय दर्शन के शब्द प्रमाण सिद्धांत के विरुद्ध जाती है क्योंकि यह केवल एक दावा है, जिसे प्रमाणित नहीं किया गया।**

आयत 3:

"क्या ये लोग (ये कहते हैं कि इसको इस शख़्स (रसूल) ने अपनी जी से गढ़ लिया है नहीं ये बिल्कुल तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक़ है ताकि तुम उन लोगों को (ख़ुदा के अज़ाब से) डराओ जिनके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला आया ही नहीं ताकि ये लोग राह पर आएँ।"

चुना गया न्याय तत्व: हेत्वाभास (Hetvabhasa - Logical Fallacy)

विश्लेषण और आलोचना:

1. **प्रतिज्ञा (Proposition):**
   इस आयत में कहा गया कि मुहम्मद साहब कुरआन को स्वयं नहीं गढ़ सकते क्योंकि यह अल्लाह की ओर से है।

2. **हेतु (Reason):**
   - **यह तर्क हेत्वाभास** (Logical Fallacy) **का उदाहरण है।**

- केवल यह कह देना कि "मुहम्मद ने इसे स्वयं नहीं गढ़ा" यह सिद्ध नहीं करता कि कुरआन अल्लाह की ओर से है।
- यह "अपील टू अथॉरिटी" (Appeal to Authority) का उदाहरण है, जहां बिना प्रमाण के किसी दावे को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है।

3. **उदाहरण (Example):**
   - **मनुस्मृति 12.106 कहती है:**

     "जिस बात को प्रमाण और तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह मान्य नहीं हो सकती।"

   - यहाँ कुरआन को अल्लाह की ओर से मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया।
4. **उपनय (Application):**
   - यदि केवल "किसी ने इसे गढ़ा नहीं" यह प्रमाण होता, तो हर धार्मिक ग्रंथ को बिना जांचे मानना पड़ेगा।
5. **निगमन (Conclusion):**
   - यह आयत तर्कहीन और प्रमाणरहित दावा करती है, जो न्याय दर्शन के तार्किक विचार पद्धति के विरुद्ध है।

आयत 4:

"ख़ुदा ही तो है जिसने सारे आसमान और ज़मीन और जितनी चीज़े इन दोनो के दरम्यिान हैं छहः दिन में पैदा की फिर अर्श (के बनाने) पर आमादा हुआ। "

चुना गया न्याय तत्व: कार्य-कारण सिद्धांत (Karya-Karana Siddhanta - Cause & Effect Principle)

विश्लेषण और आलोचना:

1. **प्रतिज्ञा (Proposition):**
   यह आयत कहती है कि ईश्वर ने छह दिनों में सृष्टि बनाई।

2. **हेतु (Reason):**

- न्याय दर्शन के अनुसार, हर कार्य का कारण होना आवश्यक है।
- यहाँ यह स्पष्ट नहीं किया गया कि छह दिनों में सृष्टि बनाने की प्रक्रिया क्या थी?
- वैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक सतत प्रक्रिया है, न कि केवल छह दिन में हुई कोई घटना।

3. **उदाहरण (Example):**
    - वैशेषिक दर्शन में सृष्टि पंचमहाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) से बनती है।
    - भगवद गीता 13.20 कहती है:

      "प्रकृति और पुरुष सृष्टि के मूल कारण हैं।"

    - यह प्राकृतिक सिद्धांतों से मेल खाता है, जबकि कुरआन की अवधारणा तार्किक प्रमाणों से शून्य है।
4. **उपनय (Application):**
    - यदि कोई दावा करता है कि ईश्वर ने छह दिन में सृष्टि बनाई, तो इसका प्रमाण और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करना होगा।
5. **निगमन (Conclusion):**
    - यह आयत कार्य-कारण संबंध के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करती।

सारणी: कुरआनी आयतों का तार्किक मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
2	शब्द प्रमाण	बिना किसी बाहरी प्रमाण के कुरआन को ईश्वरीय घोषित किया गया।
3	हेत्वाभास (Logical Fallacy)	यह केवल एक दावा है कि मुहम्मद ने कुरआन स्वयं नहीं गढ़ा, कोई प्रमाण नहीं।

4	**कार्य-कारण सिद्धांत**	**छह दिन में सृष्टि निर्माण की अवधारणा वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से असंगत है।**

समग्र निष्कर्ष:

1. **कोई भी ग्रंथ स्वयं को प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे बाहरी प्रमाणों से सिद्ध करना आवश्यक है।**
2. **आधुनिक विज्ञान और भारतीय दर्शन की तुलना में कुरआन की सृष्टि सिद्धांत तार्किक रूप से अस्वीकृत होता है।**
3. **न्याय दर्शन के अनुसार, तर्क एवं प्रमाण के बिना किसी भी कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।**

इसलिए, न्याय दर्शन की कसौटी पर यह आयतें तार्किक रूप से अस्वीकृत होती हैं।

न्याय दर्शन के आधार पर कुरआन की इस आयत का तार्किक विश्लेषण एवं आलोचना

आयत 5:

"आसमान से ज़मीन तक के हर अम्र का वही मुद्ब्बिर (व मुन्तज़िम) है फिर ये बन्दोबस्त उस दिन जिस की मिक़दार तुम्हारे षुमार से हज़ार बरस से होगी उसी की बारगाह में पेश होगा।"

चुना गया न्याय तत्व: व्याप्ति (Vyapti - Invariable Concomitance) एवं कार्य-कारण सिद्धांत (Karya-Karana Siddhanta - Cause & Effect Principle)

विश्लेषण और आलोचना:

1. **प्रतिज्ञा (Proposition):**
    - **यह आयत दावा करती है कि अल्लाह ही संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रबंधन करता है, और एक दिन हज़ार वर्षों के बराबर होगा।**
2. **हेतु (Reason):**

- न्याय दर्शन के अनुसार, व्याप्ति का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई सार्वभौमिक नियम स्थापित किया जाता है, तो उसे सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित करना आवश्यक होता है।
- यहाँ कोई वैज्ञानिक या तार्किक प्रमाण नहीं दिया गया कि एक दिव्य दिन मानव के हज़ार वर्षों के बराबर क्यों होगा?
- यदि यह "ईश्वरीय गणना" है, तो इसकी गणितीय और ब्रह्मांडीय संगति क्या है?

3. **उदाहरण (Example):**
    - वैशेषिक दर्शन में समय को अणुओं (परमाणुओं) की गति से जोड़ा गया है।
    - भगवद गीता 8.17 में कहा गया है:

      "ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों के 4.32 अरब वर्षों के बराबर है।"

        - यह एक गणितीय रूप से संतुलित ब्रह्मांडीय समय चक्र है, जो विज्ञान और दर्शन से मेल खाता है।
    - कुरआन में "1000 वर्ष = 1 दिन" का कोई वैज्ञानिक या दार्शनिक आधार नहीं दिया गया।
4. **उपनय (Application):**
    - यदि किसी दिन की गणना मानवीय वर्षों से अलग है, तो इसे समय, गति, और भौतिक अस्तित्व से जोड़ा जाना चाहिए।
    - वेदांत और सांख्य दर्शन में ब्रह्मांड की समय गणना स्पष्ट रूप से सृष्टि के चक्रों पर आधारित है, जबकि इस आयत में केवल एक अनिर्दिष्ट दावा है।
5. **निगमन (Conclusion):**
    - यह आयत न्याय दर्शन के व्याप्ति सिद्धांत को अस्वीकार कर देती है, क्योंकि कोई सार्वभौमिक प्रमाण नहीं दिया गया।
    - यह कार्य-कारण सिद्धांत का भी उल्लंघन करती है, क्योंकि "एक दिव्य दिन = 1000 मानव वर्ष" का कोई वैज्ञानिक, तार्किक या ब्रह्मांडीय आधार नहीं है।
    - भारतीय दर्शनों में काल (समय) को अधिक व्यवस्थित और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी: कुरआन की इस आयत का न्याय दर्शन द्वारा मूल्यांकन

आयत संख्या	चुना गया न्याय तत्व	मुख्य आलोचना
5	व्याप्ति एवं कार्य-कारण सिद्धांत	"1 दिन = 1000 वर्ष" का कोई वैज्ञानिक, गणितीय या दार्शनिक आधार नहीं।

समग्र निष्कर्ष:

1. यह आयत व्याप्ति सिद्धांत को खंडित करती है, क्योंकि इसका कोई सार्वभौमिक प्रमाण नहीं दिया गया।
2. यह कार्य-कारण संबंध का पालन नहीं करती, क्योंकि "ईश्वरीय समय" का आधार स्पष्ट नहीं किया गया।
3. भारतीय दर्शन में काल की अवधारणा अधिक तार्किक और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत की गई है।

इसलिए, न्याय दर्शन के अनुसार, यह आयत तर्कहीन और अप्रमाणिक है।

आयत 6-10 का विश्लेषण:

आयत 6

आयत का अनुवाद:
"वही (मुदब्बिर) पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला (सब पर) ग़ालिब मेहरबान है।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर वह है जो पोशीदा और ज़ाहिर सभी चीजों को जानने वाला है।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि ईश्वर सभी चीजों को जानता है, लेकिन यह बिना प्रमाण या अनुभव के है। इसमें

पोशीदा (गुप्त) और ज़ाहिर (स्पष्ट) दोनों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होना दिखाया गया है, जो एक अत्यधिक अमूर्त दावा है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में प्रमाणों (प्रत्यक्षा, अनुमान, उपमान, और शब्द) का उपयोग होता है। ऐसे दावे को केवल शब्दों के माध्यम से सत्यापित करना उचित नहीं होता।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बिना किसी तर्क या प्रमाण के ईश्वर के सर्वज्ञता का दावा करती है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार अप्रमाणिक है।

आयत 7

आयत का अनुवाद:
"वह (क़ादिर) जिसने जो चीज़ बनाई (निख सुख से) ख़ूब (दुरुस्त) बनाई और इन्सान की इबतेदाई ख़िलक़त मिट्टी से की।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर ने इंसान की शुरुआत मिट्टी से की है।

हेतु (Reason):
यह आयत दावा करती है कि इंसान की उत्पत्ति मिट्टी से हुई है, लेकिन यह तर्क बिना प्रमाण या वैज्ञानिक आधार के प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार, मनुष्य का विकास जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ, जो चारों ओर मौजूद जैविक पदार्थों से संबंधित हैं।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता (अध्यक्ष 13, श्लोक 27) में प्रकृति और पदार्थ के निर्माण को प्राकृतिक विधियों से समझाया गया है, न कि एक सिद्धांत के रूप में।

निगमन (Conclusion):
यह आयत मिट्टी से इंसान की उत्पत्ति को तर्क के आधार पर सही साबित नहीं करती, और यह विज्ञान के विपरीत प्रतीत होती है।

आयत 8

आयत का अनुवाद:
"उसकी नस्ल (इन्सानी जिस्म के) खुलासा यानी (नुत्फे के से) ज़लील पानी से बनाई।"

चुना गया न्याय तत्व:
अनुमान (Anumana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
इंसान की उत्पत्ति "नुत्फे के" (ज़लील पानी) से हुई है।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि इंसान की उत्पत्ति "नुत्फे" (स्खलित पानी) से हुई है, लेकिन इस तर्क के साथ कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया गया है। "नुत्फे" का संदर्भ आधुनिक बायोलॉजी और मानव विकास के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

उदाहरण (Example):
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, प्रजनन के दौरान अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से जीवन की शुरुआत होती है, न कि सिर्फ पानी से।

निगमन (Conclusion):
यह आयत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंगत है, और इसका "नुत्फे" से जीवन उत्पत्ति का दावा तर्कसंगत नहीं लगता।

आयत 9

आयत का अनुवाद:
"फिर उस (के पुतले) को दुरुस्त किया और उसमें अपनी तरफ से रुह फूँकी और तुम लोगों के (सुनने के) लिए कान और (देखने के लिए) आँखें और (समझने के लिए) दिल बनाएँ (इस पर भी) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर ने इंसान को पूर्ण रूप से बनाया, जिसमें दिल, कान, आँखें और रुह डाली।

हेतु (Reason):
यह आयत दावा करती है कि ईश्वर ने इंसान की सृष्टि की और उसमें रुह डाली, लेकिन इस तर्क का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है कि "रुह" क्या है और इसका जैविक या अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में किसी वस्तु के अस्तित्व को उसके गुण, कारण और प्रभाव के आधार पर जाना जाता है। इंसान का "रुह" स्पष्ट रूप से अनुभव या प्रमाण के माध्यम से नहीं समझा जा सकता।

निगमन (Conclusion):
यह आयत "रुह" के अस्तित्व का दावा करती है, लेकिन बिना किसी प्रमाण या तर्क के इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करना न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

आयत 10

आयत का अनुवाद:
"और ये लोग कहते हैं कि जब हम ज़मीन में नापैद हो जाएँगे तो क्या हम फिर नया जन्म लेगे (क़यामत से नही) बल्कि ये लोग अपने परवरदिगार के (सामने हुज़ूरी ही) से इन्कार रखते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर के सामने झूठा इन्कार करने वाले लोग क़यामत के दिन अपने कर्मों का फल भुगतेंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि क़यामत के दिन लोग अपने कर्मों का फल भुगतेंगे, लेकिन यह दावा बिना किसी तर्क या प्रमाण के है।

उदाहरण (Example):
मनुस्मृति (धर्मसूत्र 12.116) में कर्मों के आधार पर फल की अवधारणा दी गई है, लेकिन यह बिना प्रमाण के नहीं दी गई है, बल्कि यह कर्मों और उनके परिणामों के न्यायपूर्ण सिद्धांत से जुड़ी है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्रमाण और तर्क के बिना क़यामत के दिन के फल को एक पक्षीय रूप में प्रस्तुत करती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
6	प्रमेय	बिना प्रमाण के सर्वज्ञता का दावा।
7	हेतु	मिट्टी से उत्पत्ति का दावा विज्ञान के खिलाफ।
8	अनुमान	”नुत्फे” से उत्पत्ति का दावा असंगत है।
9	व्याप्ति	”रुह” के अस्तित्व का बिना प्रमाण के दावा।
10	प्रमाण	क़यामत के फल का दावा बिना तर्क और प्रमाण के।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ईश्वर की सृजनशक्ति और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में दावा किया गया है, लेकिन इन दावों में तार्किक और प्रमाणिक आधार की कमी है। ये आयतें न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार के प्रमाण, तर्क, या अनुभवजन्य साक्ष्य का अभाव है।

आयत 11-15 का विश्लेषण:

आयत 11

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) तुम कह दो कि मल्कुलमौत जो तुम्हारे ऊपर तैनात है वही तुम्हारी रूहे क़ब्ज़ करेगा, उसके बाद तुम सबके सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
मल्कुलमौत (मौत के फ़रिश्ते) आत्मा को लेने के लिए तैनात हैं और फिर सभी को ईश्वर के पास लौटाया जाएगा।

हेतु (Reason):
यह आयत दावा करती है कि आत्मा का हरण मल्कुलमौत करता है, लेकिन इस विचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। मनुष्य की मृत्यु और आत्मा का स्थानांतरण आज तक किसी भी अनुभव या प्रमाण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता (अध्यक्ष 2, श्लोक 19) में शरीर और आत्मा के अलग होने के सिद्धांत का उल्लेख है, लेकिन इसका भौतिक प्रमाण नहीं दिया गया है, बल्कि यह एक दार्शनिक विचार है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बिना किसी प्रमाण के जीवन के बाद के दावे करती है, और न्याय दर्शन के संदर्भ में यह तर्कशून्य प्रतीत होती है।

आयत 12

आयत का अनुवाद:
"और (ऐ रसूल) तुम को बहुत अफसोस होगा अगर तुम मुजरिमों को देखोगे कि वह (हिसाब के वक़्त) अपने परवरदिगार की बारगाह में अपने सर झुकाए खड़े हैं और (अर्ज़ कर रहे हैं) परवरदिगार हमने (अच्छी तरह देखा और सुन लिया, तू हमें दुनिया में एक दफा फिर लौटा दे कि हम नेक काम करें।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
मुजरिम लोग क़यामत के दिन अफसोस करेंगे और ईश्वर से पुनर्जन्म की प्रार्थना करेंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि मुजरिम क़यामत के दिन ईश्वर से पुनर्जन्म की इच्छा करेंगे, लेकिन यह दावा सिर्फ भविष्यवाणी पर आधारित है, बिना किसी तर्क या प्रमाण के।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कर्म के सिद्धांत के अनुसार, हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है और उसे अपने पुनर्जन्म पर अधिकार नहीं होता (अध्यक्ष 2, श्लोक 47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत पुनर्जन्म का दावा करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार यह बिना तर्क और प्रमाण के है।

आयत 13

आयत का अनुवाद:
"और अब तो हमको (क़यामत का) पूरा पूरा यक़ीन है और (ख़ुदा फरमाएगा कि) अगर हम चाहते तो दुनिया ही में हर शख़्स को (मजबूर करके) राहे रास्त पर ले आते, मगर मेरी तरफ से (रोज़े अज़ा) ये बात क़रार पा चुकी है कि मैं जहन्नुम को जिन्नात और आदमियों से भर दूँगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर अपनी इच्छा से हर किसी को रास्ता दिखा सकता था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह नर्क को भर देगा।

हेतु (Reason):
यह आयत दावा करती है कि ईश्वर को पूरा अधिकार है कि वह किसी को भी रास्ते पर ले आए, लेकिन उसने यह तय किया कि नर्क को भरना है। यह विचार एकपक्षीय और निरंकुश शक्ति का प्रदर्शित करता है, जो न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

उदाहरण (Example):
न्याय दर्शन में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। यह आयत यह स्वीकार करती है कि ईश्वर ने सबको तय कर दिया, जो कि न्यायिक दृष्टिकोण से अनैतिक है।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक अत्यधिक निरंकुश दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो न्याय दर्शन में व्यक्तियों के स्वाधीनता और कर्म के सिद्धांत से असंगत है।

आयत 14

आयत का अनुवाद:
"तो चूँकि तुम आज के दिन हुज़ूरी को भूले बैठे थे तो अब उसका मज़ा चखो, हमने तुमको क़सदन भुला दिया और जैसी जैसी तुम्हारी करतूतें थीं (उनके बदले) अब हमेशा के अज़ाब के मज़े चखो।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, वे हमेशा के लिए अज़ाब का सामना करेंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि क़यामत के दिन, जो लोग भूल गए थे, उन्हें अज़ाब दिया जाएगा। हालांकि, यह विचार पाप और दंड के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एकतरफा दृष्टिकोण है। न्याय दर्शन के अनुसार, दंड का कारण व्यक्तिगत निर्णय और कर्म होना चाहिए, न कि केवल भूलने की वजह से।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बिना स्पष्ट कारण के दंड का प्रस्ताव करती है, जो न्याय दर्शन में कर्तव्य और अधिकार के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

आयत 15

आयत का अनुवाद:
"हमारी आयतों पर इमान बस वही लोग लाते हैं कि जिस वक़्त उन्हें वह (आयतें) याद दिलायी गयीं तो फौरन सजदे में गिर पड़ने और अपने परवरदिगार की हम्दो सना की तस्बीह पढ़ने लगे और ये लोग तकब्बुर नहीं करते।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग ईश्वर की आयतों पर विश्वास करते हैं, वे तुरंत सजदा करते हैं और अपने गर्व को छोड़ देते हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि केवल वही लोग ईश्वर के संदेश को स्वीकार करते हैं जो गर्व नहीं करते और तुरंत सजदा करते हैं। यह एक सामान्यीकरण है जो सभी व्यक्तियों को एक ही मापदंड पर आंकता है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा और विश्वास से कर्म करता है, तो वह ईश्वर के मार्ग पर चल सकता है (अध्यक्ष 9, श्लोक 22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाती है और व्यक्ति के विश्वास और कर्म की विविधता को नजरअंदाज करती है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
11	**प्रमेय**	**मृत्यु और आत्मा के हरण का दावा बिना प्रमाण के।**
12	**व्याप्ति**	**पुनर्जन्म का दावा बिना तर्क और प्रमाण के।**
13	**प्रमाण**	**निरंकुश सत्ता का दावा, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।**
14	**हेतु**	**दंड का निर्धारण बिना तर्क के, केवल भूलने पर।**
15	**व्याप्ति**	**सामान्यीकरण, जो व्यक्ति के विविध विश्वासों को अनदेखा करता है।**

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में ईश्वर के क़यामत, दंड, और विश्वास के बारे में दावा किया गया है, लेकिन इनमें से अधिकांश तर्क या प्रमाण से रहित हैं। इन दावों का न्याय दर्शन के सिद्धांतों के तहत कोई ठोस आधार नहीं है।

आयत 16-20 का विश्लेषण:

आयत 16

आयत का अनुवाद:
"(रात) के वक़्त उनके पहलू बिस्तरों से आशना नहीं होते और (अज़ाब के) ख़ौफ और (रहमत की) उम्मीद पर अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं और हमने जो कुछ उन्हें अता किया है उसमें से (ख़ुदा की) राह में ख़र्च करते हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
सच्चे मुशरिक या ईमानदार लोग रात में अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, अज़ाब के डर और रहमत की उम्मीद के साथ।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि केवल वे लोग जो ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, वे रात में इबादत करते हैं। हालांकि, यह एक आस्थात्मक दृष्टिकोण है, और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इबादत और पूजा के स्वरूप हर धर्म और संस्कृति में अलग-अलग हो सकते हैं।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और उपासना व्यक्ति के कर्मों और निष्ठा पर निर्भर करती है (अध्यक्ष 9, श्लोक 22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक निश्चित आस्थावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति अलग हो सकती है।

आयत 17

आयत का अनुवाद:
"उन लोगों की कारगुज़ारियों के बदले में कैसी कैसी आँखों की ठन्डक उनके लिए ढकी छिपी रखी है, उसको कोई शख़्स जानता ही नहीं।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर ने अच्छे कार्य करने वालों के लिए अपनी विशेष रहमत रखी है, जिसे कोई नहीं जानता।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि अच्छे कार्य करने वालों के लिए एक विशेष प्रकार की "ठंडक" या सुख है, जो सामान्य लोग नहीं समझ सकते। लेकिन इसका कोई भौतिक या तार्किक प्रमाण नहीं है, और यह एक ग़ैर-प्रमाणित दावा है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में ईश्वर के कर्मफल के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है, जहां व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है (अध्यक्ष 2, श्लोक 47)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक आस्थावादी और भावनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो न्याय दर्शन के संदर्भ में प्रमाणित नहीं किया जा सकता।

आयत 18

आयत का अनुवाद:
"तो क्या जो शख़्स ईमानदार है, उस शख़्स के बराबर हो जाएगा जो बदकार है? (हरगिज़ नहीं) ये दोनों बराबर नहीं हो सकते।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईमानदार व्यक्ति और बदकार व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते।

हेतु (Reason):
यह आयत स्पष्ट करती है कि ईमानदार और पापी व्यक्ति के बीच अंतर है, और इस अंतर को किसी भी स्थिति में नहीं मिटाया जा सकता। हालांकि, न्याय दर्शन के सिद्धांतों के तहत यह तर्क किया जाता है कि व्यक्ति के कर्मों का परिणाम उसके कार्यों के अनुसार होना चाहिए, लेकिन सबका मूल्यांकन केवल कर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य की स्थिति और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलता है (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत सच्चाई के दावे को करती है, लेकिन न्याय दर्शन के संदर्भ में व्यक्ति के कर्मों के परिणाम को केवल कर्मों तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य परिस्थितियों का भी ध्यान रखना आवश्यक है।

आयत 19

आयत का अनुवाद:
"लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उनके लिए तो रहने सहने के लिए (बेहष्त के) बाग़ात हैं, ये सामाने ज़ियाफ़त उन कारगुज़ारियों का बदला है जो वह (दुनिया में) कर चुके थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनके लिए स्वर्ग के बाग़ हैं, जो उनके अच्छे कर्मों का प्रतिफल हैं।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि अच्छे कर्मों के बदले में स्वर्ग का इनाम मिलेगा। हालांकि, यह विचार कर्मफल के सिद्धांत से मेल खाता है, लेकिन इस प्रकार का दावा बिना किसी भौतिक या मानसिक प्रमाण के किया गया है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसे निश्चित रूप से शांति और सफलता मिलती है (अध्यक्ष 9, श्लोक 22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक साकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, लेकिन न्याय दर्शन में यह विचार वास्तविकता से अधिक एक आस्थावादी दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

आयत 20

आयत का अनुवाद:
"और जिन लोगों ने बदकारी की, उनका ठिकाना तो (बस) जहन्नुम है, वह जब उसमें से निकल जाने का इरादा करेंगे तो उसी में फिर ढकेल दिए जाएँगे और उन से कहा जाएगा कि दोज़ख़ के जिस अज़ाब को तुम झुठलाते थे अब उसके मज़े चखो।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग बुरे कर्म करेंगे, उनका स्थान जहन्नुम है, जहां वे अज़ाब का सामना करेंगे।

हेतु (Reason):
यह आयत बुरे कर्मों के लिए दंड का दावा करती है। हालांकि, यह कर्मों के परिणाम को स्पष्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन दंड का यह विचार केवल तात्कालिक दृष्टिकोण से किया गया है, जबकि न्याय दर्शन में यह देखा जाता है कि दंड केवल तब दिया जाता है जब कर्मों की प्रकृति और मनुष्य की स्थिति पूरी तरह से समझी जाती है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कर्मों के अनुसार फल का सिद्धांत है, लेकिन यह कभी भी अनावश्यक या अत्यधिक दंड का समर्थन नहीं करता (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत बुरे कर्मों के लिए दंड का दावा करती है, लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार यह विचार अत्यधिक और एकतरफा हो सकता है।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
16	हेतू	आस्थावादी दृष्टिकोण, जो सभी के लिए समान नहीं हो सकता।
17	प्रमाण	”ठंडक” का दावा बिना प्रमाण के।
18	प्रमेय	कर्मों के परिणाम को केवल कर्मों तक सीमित करना अन्य स्थितियों को नजरअंदाज करता है।
19	व्याप्ति	कर्मों का फल बिना प्रमाण और तर्क के।
20	प्रमेय	बुरे कर्मों के लिए दंड का दावा, जो न्याय दर्शन में एकतरफा है।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम का दावा किया गया है, लेकिन ये दावे बिना भौतिक या तात्त्विक प्रमाण के हैं। इनमें न्याय और कर्मफल के सिद्धांतों के तहत केवल कर्मों पर आधारित निर्णय दिखाई देते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण अन्य तत्वों और परिस्थितियों को अनदेखा करता है।

आयत 21-25 का विश्लेषण:

आयत 21

आयत का अनुवादः
"और हम यक़ीनी (क़यामत के) बड़े अज़ाब से पहले दुनिया के (मामूली) अज़ाब का मज़ा चखाएँगें जो अनक़रीब होगा ताकि ये लोग अब भी (मेरी तरफ) रुज़ू करें।"

चुना गया न्याय तत्वः
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
अल्लाह पहले छोटे अज़ाबों से इंसान को सजा देगा ताकि वे क़यामत के बड़े अज़ाब से पहले सुधर जाएं और अल्लाह की तरफ लौटें।

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि अल्लाह छोटे अज़ाबों का अनुभव कराकर, मानवता को क़यामत के बड़े अज़ाब से बचाने के लिए सुधरने का मौका देता है। हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, हर व्यक्ति का कर्म, स्थिति और परिस्थिति अलग-अलग होती है, और इस प्रकार की सामान्य सजा (अज़ाब) सभी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में यह कहा गया है कि कर्मों के परिणाम की घोषणा पूरी सृष्टि के न्याय पर आधारित होती है, लेकिन यह कभी भी अत्यधिक और अपरिहार्य दंड के रूप में नहीं होती (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें सभी को समान दंड देने की प्रवृत्ति है, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्थिति और कर्मों का मूल्यांकन अलग होना चाहिए।

आयत 22

आयत का अनुवादः
"और जिस शख़्स को उसके परवरदिगार की आयतें याद दिलायी जाएँ और वह उनसे मुँह फेर, उससे बढ़कर और ज़ालिम कौन होगा? हम गुनाहगारों से इन्तक़ाम लेगें और ज़रूर लेंगे।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो व्यक्ति ईश्वर की आयतों से मुंह फेरता है, वह सबसे बड़ा ज़ालिम है, और उसे ईश्वर द्वारा दंड मिलेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि जो लोग ईश्वर के आदेशों से मुंह मोड़ते हैं, वे गुनाहगार होते हैं, और उनका दंड अनिवार्य है। लेकिन यह विचार केवल कर्मों के आधार पर दंड देने का है, और न्याय दर्शन के अनुसार, कर्मों के परिणाम को एक निश्चित दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कर्म के आधार पर दंड की अवधारणा है, लेकिन इसका निर्णय व्यक्ति के भीतर के संघर्ष और परिस्थिति के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल बाहरी तत्वों के आधार पर (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत कर्मों के आधार पर सजा का एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन के तहत, दंड का मूल्यांकन व्यक्ति की मानसिक स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर होना चाहिए।

आयत 23

आयत का अनुवादः
"और (ऐ रसूल) हमने तो मूसा को भी (आसमानी किताब) तौरेत अता की थी, तुम भी इस किताब (कुरान) के (अल्लाह की तरफ से) मिलने में शक में न पड़े रहो और हमने इस (तौरेत) तो तुम को भी बनी इसराईल के लिए रहनुमा क़रार दिया था।"

चुना गया न्याय तत्वः
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचनाः

प्रतिज्ञा (Proposition):
ईश्वर ने मूसा को तौरेत दी थी और अब कुरान को रसूल को दिया है। इस पर शक न करें।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि कुरान और तौरेत ईश्वर की ओर से सत्य प्रमाण हैं। हालांकि, न्याय दर्शन में प्रमाणों का मूल्यांकन उसके विश्वसनीयता और तार्किकता के आधार पर किया जाता है। किसी भी किताब को प्रमाण के रूप में स्वीकारने के लिए उसके तर्कसंगत और भौतिक प्रमाणों की आवश्यकता होती है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि ईश्वर के वचन और ज्ञान को समझने के लिए उसे तर्क और विवेक के साथ देखना चाहिए (अध्यक्ष 9, श्लोक 22)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत धार्मिक विश्वास पर आधारित है, लेकिन न्याय दर्शन में प्रमाण का मूल्यांकन केवल आस्थावादी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका तार्किक आधार भी होना चाहिए।

आयत 24

आयत का अनुवाद:
"और उन्ही (बनी इसराईल) में से हमने कुछ लोगों को, चूँकि उन्होंने (मुसीबतों पर) सब्र किया था, पेशवा बनाया जो हमारे हुक़्म से (लोगो की) हिदायत करते थे और (इसके अलावा) हमारी आयतों का दिल से यक़ीन रखते थे।"

चुना गया न्याय तत्व:
व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग सब्र करते हुए ईश्वर के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें ईश्वर मार्गदर्शक बना देता है।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि सब्र और विश्वास रखने वाले लोग ईश्वर के मार्गदर्शन से सम्मानित होते हैं।

हालांकि, न्याय दर्शन के अनुसार, यह तर्क केवल कुछ लोगों के लिए लागू हो सकता है, और यह सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कर्मफल के सिद्धांत के तहत, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, लेकिन केवल कुछ लोग ही अपनी परिस्थिति के आधार पर विशेष रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत एक सामान्यीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें सभी को एक जैसा मार्गदर्शन मिलने की संभावना को नजरअंदाज किया गया है।

आयत 25

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) हसमें शक नहीं कि जिन बातों में लोग (दुनिया में) बाहम झगड़ते रहते हैं, क़यामत के दिन तुम्हारा परवरदिगार क़तई फैसला कर देगा।"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
जो लोग दुनिया में झगड़ते हैं, उनके बीच क़यामत के दिन अल्लाह फैसला करेगा।

हेतु (Reason):
यह आयत यह दावा करती है कि क़यामत के दिन सभी विवादों का न्यायपूर्ण समाधान किया जाएगा। लेकिन यह एक आस्थावादी दृष्टिकोण है और न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी विवाद का समाधान तर्क और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि सत्य और न्याय के आधार पर ही संघर्षों का समाधान होना चाहिए (अध्यक्ष 18, श्लोक 66)।

निगमन (Conclusion):

यह आयत विवादों के समाधान के लिए क़यामत पर निर्भर करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, विवादों का समाधान तर्क और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
21	हेतू	सामान्यीकृत दृष्टिकोण, जो प्रत्येक व्यक्ति की अलग परिस्थितियों को नजरअंदाज करता है।
22	प्रमेय	कर्मों पर आधारित दंड, जो न्याय दर्शन में पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है।
23	प्रमाण	धार्मिक विश्वास पर आधारित प्रमाण, जो तर्कसंगत नहीं है।
24	व्याप्ति	एक सामान्य दृष्टिकोण, जो सभी के लिए एक जैसा मार्गदर्शन नहीं दे सकता।
25	उपमान	क़यामत पर आधारित निर्णय, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में जो तर्क दिए गए हैं, वे मुख्य रूप से आस्थावादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। न्याय दर्शन में किसी भी निर्णय का आधार तर्क, प्रमाण और परिस्थितियों का विश्लेषण होना चाहिए, जो इन आयतों में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।

आयत 26-30 का विश्लेषण:

आयत 26

आयत का अनुवाद:
"क्या उन लोगों को ये मालूम नहीं कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला जिन के घरों में ये लोग चल फिर रहे हैं? बेशक उसमें (कुदरते ख़ुदा की) बहुत सी निशानियाँ हैं तो क्या ये लोग सुनते नहीं हैं?"

चुना गया न्याय तत्व:
हेतु (Hetu)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
पहले की उम्मतों का विनाश, जो ईश्वर के आदेशों से मुंह मोड़ने के कारण हुआ, एक चेतावनी है, लेकिन क्या यह ईश्वर की ओर से संकेत के रूप में सही और न्यायपूर्ण है?

हेतु (Reason):
यह आयत कहती है कि जो पहले क़ौमें विनष्ट हुईं, उनका विनाश एक ईश्वरीय चेतावनी है। लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, किसी क़ौम का विनाश केवल कर्मों के कारण होता है, जो हर व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय का परिणाम होना चाहिए, न कि पूरे समाज को एक सामान्यीकृत परिणाम देने के रूप में।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों के परिणाम व्यक्ति की स्थिति और आस्था पर निर्भर करते हैं, और यह किसी पूरे समाज की स्थिति से नहीं जुड़ा होता (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत पूरे समाज को दोषी ठहराती है, जबकि न्याय दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के कर्म और उसके परिणाम व्यक्तिगत होते हैं।

आयत 27

आयत का अनुवाद:
"क्या इन लोगों ने इस पर भी ग़ौर नहीं किया कि हम चटियल मैदान (इफ़तादा) ज़मीन की तरफ पानी को जारी करते हैं फिर उसके ज़रिए से हम घास पात लगाते हैं जिसे उनके जानवर और ये ख़ुद भी खाते हैं तो क्या ये लोग इतना भी नहीं देखते?"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमेय (Prameya)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
पानी से ज़मीन को सींचने और उससे जीवन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को समझकर लोग क़यामत के बारे में संदेह न करें।

हेतु (Reason):
यह आयत प्राकृतिक घटनाओं को एक संकेत के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन न्याय दर्शन में, प्रकृति की घटनाओं को एक विशेष उद्देश्य या संकेत के रूप में समझना गलत हो सकता है, क्योंकि इन घटनाओं का वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण भी हो सकता है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में प्रकृति और जीवन के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जिसमें सभी तत्वों के संतुलन को समझने की कोशिश की जाती है, न कि केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से (अध्यक्ष 11, श्लोक 8)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक संकेत के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, प्राकृतिक घटनाओं का समझना केवल एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से होना चाहिए।

आयत 28

आयत का अनुवाद:
"और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग सच्चे हो (कि क़यामत आएगी) तो (आख़िर) ये फैसला कब होगा?"

चुना गया न्याय तत्व:
उपमान (Upamana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
लोग क़यामत के बारे में संदेह करते हैं, और उनका प्रश्न है कि यदि यह सच है, तो इसका फैसला कब होगा।

हेतु (Reason):
यह आयत क़यामत के बारे में संदेह करने वालों के सवाल को प्रस्तुत करती है। लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांत के अनुसार, जब किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए तर्क या प्रमाण नहीं होते, तो संदेह करना स्वाभाविक है।

उदाहरण (Example):
भगवद गीता में कहा गया है कि क़यामत के बारे में ज्ञान केवल उन्हीं को होता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं (अध्यक्ष 7, श्लोक 3)।

निगमन (Conclusion):
यह आयत संदेह करने वालों का प्रश्न प्रस्तुत करती है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार, यह सही है कि बिना प्रमाणों या तर्कों के किसी भी सिद्धांत पर संदेह किया जा सकता है।

आयत 29

आयत का अनुवाद:
"(ऐ रसूल) तुम कह दो कि फैसले के दिन कुफ़्फ़ार को उनका ईमान लाना कुछ काम न आएगा और न उनको (इसकी) मोहलत दी जाएगी।"

चुना गया न्याय तत्व:
प्रमाण (Pramana)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
कुफ़्फ़ार का ईमान लाना क़यामत के दिन काम नहीं आएगा।

हेतु (Reason):
यह आयत यह कहती है कि क़यामत के दिन, जब लोग पछताएंगे, तो उनका ईमान लाना काम नहीं आएगा। लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांत में, कोई भी सिद्धांत तब तक प्रमाणित नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके तर्क और प्रमाण स्पष्ट न हों।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों के फल का प्राप्ति का आधार विवेक और ज्ञान है, न कि पछतावा या केवल विश्वास (अध्यक्ष 4, श्लोक 17)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत क़यामत के दिन पछताने का कोई लाभ न होने की बात करती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, वास्तविक परिणाम व्यक्ति के विवेक और समझ से जुड़ा होता है, न कि केवल पछतावे से।

आयत 30

आयत का अनुवाद:
 "ग़रज़ तुम उनकी बातों का ख़्याल छोड़ दो और तुम मुन्तज़िर रहो (आख़िर) वह लोग भी तो इन्तज़ार कर रहे हैं।"

चुना गया न्याय तत्व:
 व्याप्ति (Vyapti)

विश्लेषण और आलोचना:

प्रतिज्ञा (Proposition):
 रसूल को उन लोगों की बातों की चिंता छोड़कर, क़यामत के निर्णय का इंतजार करने का आदेश है।

हेतु (Reason):
 यह आयत कहती है कि मुसलमानों को क़यामत के बारे में संदेह करने वालों की बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन न्याय दर्शन के सिद्धांत में, किसी भी बात को अनदेखा करना तर्क के विपरीत होता है, क्योंकि हर सवाल का उत्तर तर्क और प्रमाण से होना चाहिए।

उदाहरण (Example):
 भगवद गीता में कहा गया है कि संदेह और विवादों को विचार और तर्क से हल करना चाहिए, न कि उन्हें नजरअंदाज करना (अध्यक्ष 18, श्लोक 66)।

निगमन (Conclusion):
 यह आयत संदेह करने वालों को अनदेखा करने की सलाह देती है, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, किसी भी सवाल का समाधान तर्क और प्रमाण से किया जाना चाहिए।

सारणी (आयतों का तार्किक मूल्यांकन)

आयत संख्या	चुना गया तत्व	मुख्य आलोचना
26	हेतू	सामान्यीकृत दृष्टिकोण, जो पूरी क़ौम को दोषी ठहराता है।
27	प्रमेय	प्राकृतिक घटनाओं को धार्मिक संकेत के रूप में प्रस्तुत करना, जो न्याय दर्शन से मेल नहीं खाता।
28	उपमान	संदेह करना स्वाभाविक है जब तर्क और प्रमाण स्पष्ट नहीं होते।
29	प्रमाण	पछतावे का कोई लाभ नहीं, जबकि न्याय दर्शन के अनुसार, विवेक और समझ पर आधारित परिणाम होते हैं।
30	व्याप्ति	संदेह करने वालों को अनदेखा करना, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता।

समग्र निष्कर्ष:

इन आयतों में प्रमुख रूप से विश्वास और संदेह के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो न्याय दर्शन के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। न्याय दर्शन के अनुसार, हर व्यक्ति का निर्णय तर्क, प्रमाण और विवेक के आधार पर होना चाहिए, जबकि ये आयतें संदेह और सवालों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं।